न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र सख्या 3/2025

पूरणमल पुत्र पुरखाराम, निवासी सांसी बस्ती, भगवानगंज, अजमेर जरिये मुख्त्यारखास राजदीन पुत्र शाहबुद्दीन, जाति मुसलमान, निवासी मस्जिद के पास, हटूण्डी, अजमेर

– प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय अजमेर

–अप्रार्थी/सुपुर्दगीगार

उपस्थितः–

1. श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी पैरोकार सरकार
2. श्री जे.एस.राणा प्राथी अभिभाषक

सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 497/503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

–:आदेशः–

दिनांक 08.04.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी पूरणमल पुत्र पुरखाराम, निवासी सांसी बस्ती, भगवानगंज, अजमेर जरिये मुख्त्यारखास राजदीन पुत्र शाहबुद्दीन, जाति मुसलमान, निवासी मस्जिद के पास, हटूण्डी, अजमेर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 497/503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वास्ते वाहन संख्या RJ.36 GA 2391 को सुपुर्दगीनामे पर छोड़ने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि जिला रसद अधिकारी अजमेर की विभागीय दस्ते द्वारा दिनांक 19.09.2024 को माखुपुरा स्थित पार्श्वनाथ स्वीट्स प्रतिष्ठान पर सुपुर्दगीदार का लोडिंग टेम्पो मय गैस सिलेण्डर के जब्त कर लिया था। उक्त वाहन कब्जे में लेकर मातृछाया गैस सर्विस के मैनेजर को सुपुर्दगी पर दिया गया। उक्त वाहन प्रार्थी का आजीविका का एक मात्र साधन है। उक्त वाहन के खडे रहने से उसमें नुकसान होने की पूर्ण संभावना है, उक्त वाहन के सबंध में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। प्रार्थी उक्त वाहन को सुपुदर्गी पर लेने हेतु तत्पर है। प्रार्थी वाहन स्वामी को उपरोक्त वाहन सुपुर्दगीनामें पर मुक्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर टिप्पणी हेतु जिला रसद अधिकारी अजमेर को लिखा गया। टिप्पणी प्राप्त होने पर सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया।

पेरोकार सरकार ने टिप्पणी प्रस्तुत कर बहस में निवेदन किया गया कि दिनांक 19.09.2024 को घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरूपयोग/अवैध रिफिलिंग के विरूद्ध अभियान के तहत श्री नीरज कुमार जैन प्रवर्तन अधिकारी हमराह श्री हेमन्त कुमार आर्य प्रवर्तन अधिकारी, श्री खान मोहम्मद खान प्रवर्तन अधिकारी, श्री जगदीश प्रसाद शर्मा प्रवर्तन अधिकारी, सुश्री उर्मिला सेहर प्रवर्तन निरीक्षक, श्री महेन्द्र कुमार यादव प्रवर्तन निरीक्षक, श्री राहुल वेदवाल प्रवर्तन निरीक्षक संयुक्त जांच दल मैसर्स पार्श्वनाथ स्वीट्स,

जिला कलक्टर
अजमेर

एस.बी.आई के सामने परबतपुरा बाईपास पर पहुँचे। मौके पर पार्श्वनाथ स्वीट्स के पीछे वाले रोड पर 01 अतुल टैम्पो रजि0 नं0 RJ.36 GA 2391 खडा पाया जिसमें 28 घरेलू सिलेण्डर भारत कम्पनी के थे उसके आगे 04 सिलेण्डर रोड पर रखे थे। उसके आगे 01 टाटा मैजिक टैम्पो एस कीम कलर R.J.01 GC 9629 खडा पाया, जिसमें 04 वाणिज्यिक सिलेण्डर भारत कम्पनी के 02 एच.पी. कम्पनी के घरेलू सिलेण्डर रखे पाये गये। मौके पर पार्श्वनाथ स्वीट्स के पीछे के दरवाजे से प्रवेश करने पर 04 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) बरामद हुये तथा मौके पर 01 इण्डेन सिलेण्डर तथा 01 एच.पी. घरेलू सिलेण्डर भट्टी पर लगा हुआ पाया, जिन पर.पूडिया बन रही थी जिससे स्पष्ट होता है कि घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग होना पाया। मौके पर मौके पर अतुल टैम्पो के वाहन चालक श्री राजदीन खान पुत्र शहाबुदीन निवासी हटूण्डी ने पूछताछ पर बताया कि वो जिंदल गैस एजेन्सी पर काम करता है और 02 घरेलू गैस सिलेण्डर भारत कम्पनी के पार्श्वनाथ स्वीट्स के मालिक श्री गौरव जैन को दिये तथा गौरव जैन के अनुसार इन दो घरेलू गैस सिलेण्डरो के 1800 रूपये श्री राजदीन खान को दिये। श्री गौरव जैन के अनुसार लगभग 15 दिन से इसी रेट पर घरेलू सिलेण्डर ले रहा है। श्री राजदीन ने बताया कि मुनाफे के पैसे उसकी खुद की जेब में ही जाते है। मौके पर मैसर्स जिंदल भारत गैस का प्रोपराईटर श्री मुकेश जिंदल मौके पर उपस्थित हुआ तथा उसने श्री राजदीन खान के इस अवैध कृत्य के बारे में अनभिज्ञता प्रकट की किन्तु गैस एजेन्सी के प्रोपराइटर होने के नाते यह उसका प्राथमिक दायित्व है उसकी एजेन्सी के सिलेण्डर केवल पंजीकृत उपभोक्तओ को ही वितरित हो। मौके पर श्री राजदीन ने अपना गैस कम्पनी का आई कार्ड भी पहना हुआ था जिससे यह सिद्ध होता है कि श्री राजदीन का यह कृत्य घरेलू गैस की कालाबाजारी में पूर्णतया लिप्त होना पाया। मौके पर अतुल टैम्पो रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ.36 GA 2391 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने के आदेश प्रदान करावे।

दौराने बहस प्रार्थी ने निवेदन किया कि मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के निस्तारण में समय लगेगा इस दौरान वाहन खराब हो जावेगा जबकि पिछले काफी समय से वाहन के खड़े रहने से डेमेज हो गया है इसलिये वाहन के समुचित रख रखाव के लिए उपरोक्त वाहन संख्या RJ.36 GA 2391 को सुपुर्दगीनामे पर छोड़ा जाने का आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। दिनांक 19.09.2024 को घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरूपयोग/अवैध रिफिलिंग के विरूद्ध अभियान के तहत श्री नीरज कुमार जैन प्रवर्तन अधिकारी हमराह श्री हेमन्त कुमार आर्य प्रर्वतन अधिकारी, श्री खान मोहम्मद खान प्रवर्तन अधिकारी, श्री जगदीश प्रसाद शर्मा प्रवर्तन अधिकारी, सुश्री उर्मिला सेहर प्रवर्तन निरीक्षक, श्री महेन्द्र कुमार यादव प्रवर्तन निरीक्षक, श्री राहुल वेदवाल प्रवर्तन निरीक्षक संयुक्त जांच दल मैसर्स पार्श्वनाथ स्वीट्स, एस.बी.आई के सामने परबतपुरा बाईपास पर पहुँचे। मौके पर पार्श्वनाथ स्वीट्स के पीछे वाले रोड पर 01 अतुल टैम्पो रजि0 नं0 R.J.36 GA 2391 खडा पाया जिसमें 28 घरेलू सिलेण्डर भारत कम्पनी के थे उसके आगे 04 सिलेण्डर रोड पर रखे थे। उसके आगे 01 टाटा मैजिक टैम्पो एस कीम कलर R.J.01 GC 9629 खडा पाया, जिसमें 04 वाणिज्यिक सिलेण्डर भारत

जिला कलक्टर
अजमेर

कम्पनी के 02 एच.पी. कम्पनी के घरेलू सिलेण्डर रखे पाये गये। मौके पर पार्श्वनाथ स्वीट्स के पीछे के दरवाजे से प्रवेश करने पर 04 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) बरामद हुये तथा मौके पर 01 इण्डेन सिलेण्डर तथा 01 एच.पी. घरेलू सिलेण्डर भट्टी पर लगा हुआ पाया, जिन पर पूड़िया बन रही थी जिससे स्पष्ट होता है कि घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग होना पाया। मौके पर मौके पर अतुल टैम्पो के वाहन चालक श्री राजदीन खान पुत्र शहाबुद्दीन निवासी हटूण्डी ने पूछताछ पर बताया कि वो जिंदल गैस एजेन्सी पर काम करता है और 02 घरेलू गैस सिलेण्डर भारत कम्पनी के पार्श्वनाथ स्वीट्स के मालिक श्री गौरव जैन को दिये तथा गौरव जैन के अनुसार इन दो घरेलू गैस सिलेण्डरो के 1800 रूपये श्री राजदीन खान को दिये। श्री गौरव जैन के अनुसार लगभग 15 दिन से इसी रेट पर घरेलू सिलेण्डर ले रहा है। श्री राजदीन ने बताया कि मुनाफे के पैसे उसकी खुद की जेब में ही जाते है। मौके पर मैसर्स जिंदल भारत गैस का प्रोपराईटर श्री मुकेश जिंदल मौके पर उपस्थित हुआ तथा उसने श्री राजदीन खान के इस अवैध कृत्य के बारे में अनभिज्ञता प्रकट की किन्तु गैस एजेन्सी के प्रोपराइटर होने के नाते यह उसका प्राथमिक दायित्व है उसकी एजेन्सी के सिलेण्डर केवल पंजीकृत उपभोक्तओ को ही वितरित हो। मौके पर श्री राजदीन ने अपना गैस कम्पनी का आई कार्ड भी पहना हुआ था जिससे यह सिद्ध होता है कि श्री राजदीन का यह कृत्य घरेलू गैस की कालाबाजारी में पूर्णतया लिप्त होना पाया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि एल.पी.जी की अवैध कालाबाजारी का कार्य अत्यंत सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है तथा मौके पर कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार उक्त कृत्य एल.पी.जी आदेश 2000 के खण्ड 3(1)(सी) के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लघंन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है प्रार्थी ने अतुल टैम्पो रजि0 नं0 RJ.36 GA 2391 को उसे सुपुर्दगीनामे पर छोड़ने की प्रार्थना की है। अतः जब्तशुदा उपरोक्त अतुल टैम्पो रजि0 नं0 RJ.36 GA 2391 के प्रथम दृष्टया गैस के अवैध करोबार में लिप्त होने के फलस्वरूप रूपये 50,000/–अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र की शास्ति राशि आरोपित की जाती है। जिला रसद अधिकारी अजमेर को आदेशित किया जाता हैं कि सम्बन्धित वाहन मालिक द्वारा शास्ति राशि अदा करने पर जब्त किए गये उपरोक्त वाहन की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता नहीं हो तो स्वामित्व बाबत् सन्तुष्ट होने पश्चात् सम्बन्धित को सुपुर्द कर दिया जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 08.04.2025 को बाद हस्ताक्षर के सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर